प्रेस नोट दिनांकः- 09.02.2021

पुलिस अधीक्षक, जनपद अमरोहा श्रीमती सुनीति के निर्देशन मे आज दिनांक-09.02.2021 को जनपद में अपराधियो के विरूद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरणः-

- थाना डिडौली पुलिस द्वारा थाना अमरोहा नगर पर गैंगस्टर अधिनियम में पंजीकृत अभियोग मे वांछित 03 गैंगस्टर अभियुक्त 1. मौहम्मद सलमान पुत्र मौहम्मद अली निवासी मौ0 दरबारे कलां थाना अमरोहा नगर 2. महमूद आलम पुत्र फारुख आलम निवासी मौ0 चौक थाना अमरोहा नगर व 3. अरशद अली अन्सारी पुत्र निजामुददीन निवासी मौ0 लकडा थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर विधिक कार्यावाही की गई।
- थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा अभियुक्त गुड्डू पुत्र बददे निवासी ग्राम शेरपुर थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा को मय 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना गजरौला पुलिस द्वारा सोलर पैनल चोरी करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्तगण सतवीर सैनी पुत्र हरस्वरुप सैनी निवासी ग्राम सलेमपुर गौसाई थाना गजरौला व गणेश चौहान पुत्र छज्जू सिंह निवासी मौ0 चौहानपुरी कस्बा व थाना गजरौला जनपद अमरोहा को मय चुरायी हुई 02 सोलर पैनल सहित गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना आदमपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त परम सिंह पुत्र उदल सिंह निवासी ग्राम चकफेरी थाना आदमपुर जपनद अमरोहा को मय 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना रहरा पुलिस द्वारा मारपीट कर दहेज के लिये प्रताडित करने, गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने व तीन तलाक देने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त गुलफाम पुत्र मुश्ताक निवासी ग्राम ततारपुर थाना असमौली जनपद सम्भल को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई।
- जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 23 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया। जिसमें थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा 05 व्यक्ति, थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना नौगावा सादात पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा 04 व्यक्ति, थाना बछरायूं पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना गजरौला पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना हसनपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्ति, थाना सैदनगली पुलिस द्वारा 04 व्यक्ति व थाना रहरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्तियों का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया।